(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं०. 04 /2018- सीमा शुल्क (एन.टी.)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी, 2018

सा.का.नि. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सा.का.नि. संख्या 1210(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के तहत प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0. 92/2017-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 28 सितम्बर, 2017 में, एतद्द्वारा और आगे संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, कॉलम (3) में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, मद (i) हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
"(i) आयुक्त, सीमा शुल्क (हवाईअड्डा), दिल्ली;
(i क) आयुक्त, सीमा शुल्क (सामान्य),दिल्ली;";

(ख) क्रम संख्या 2 के समक्ष, मद (iv) हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
"(iv) आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात-I), मुम्बई जोन I;
(iv क) आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात-II), मुम्बई जोन I.";

(ग) क्रम संख्या 2 के समक्ष, मद (iv) हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-
"(iv क) आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात-VI), चेन्नै;";

(घ) क्रम संख्या 16 के समक्ष, प्रविष्टियों हेतु, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) सीमा शुल्क-आयुक्त, कोचीन; और
(ii) सीमा शुल्क-आयुक्त (निवारक), कोचीन ।"

[फा. सं०. 450/100/2017 - सीमा शुल्क-IV]

(जुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं0. 92/2017-सीमा शुल्क (एन.टी.),दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को सा.का.नि. संख्या 1210(अ), दिनांक 28 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार सा.का.नि. संख्या 1589(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित, अधिसूचना सं0.119/2017-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था।